

॥ संगठन ही शक्ति है ॥



छ.ग. न्यायिक कर्मचारी संघ

जिला शाखा बिलासपुर (छ.ग.)

छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा मान्यता क्रमांक 1631/III-1910/2001 दि. 24/04/2001
पंजीयन क्र. 122202060152 दि. 17/01/2020

संरक्षक
श्री प्रमोद पाठक, श्री भागवत धुव

अध्यक्ष
श्री धीरज पलेरिया
7415749099

सचिव
श्री केदार रजक
9827963735

संघ प्रवक्ता

श्री कन्हैया लाल रजक

उपाध्यक्ष

श्री लक्ष्मीकांत दुबे

महिला उपाध्यक्ष

श्रीमती अनिता साहा

सह-सचिव

श्री सुरेन्द्र पाण्डेय

कोषाध्यक्ष

श्री मनीष गुप्ता

उपकोषाध्यक्ष

श्री सुर्यकांत पाण्डेय

संगठन सचिव

श्री मनोज यादव

श्री नागेश कश्यप

श्रीमती वर्षा वर्मा

श्रीमती अपेक्षा गढ़ेवाल

प्रचार सचिव

श्रीमती श्वेता यादव

श्री लोकेश तिवारी

श्री बृजेन्द्र सिंह

श्री सौरभ मिश्रा

श्री प्रवीण कुमार भारती

(परिवार न्यायालय)

विशेष सलाहकार समिति

श्री नईम खान

श्री सतीश ढाकरिया

श्रीमती सविता धुव

श्रीमती नीलकुंवर सिन्हा

सुश्री सीमा बंजारे

कार्यकारिणी सदस्य

श्री सतीश मिश्रा

श्री अमजद खान

श्री अंबुज सिंह

श्री सत्यम सिन्हा

श्रीमती कांति मिश्रा

तहसील प्रतिनिधि

श्री आशाराम मरावी (मरवाही)

श्री श्रवण कुमार श्रीवास (पेन्द्रारोड)

श्री नितेश कोचले (कोटा)

श्री चन्द्रशेखर रजक (तखतपुर)

श्री सुखसागर कौशिक (बिल्हा)

क्रमांक

दिनांक

अध्यक्ष, छत्तीसगढ़, न्यायिक कर्मचारी संघ जिला शाखा बिलासपुर, (छ.ग.)

निविदा विज्ञप्ति क्रमांक-01/2025

बिलासपुर, दिनांक-08 अप्रैल 2025

ईशतहार

छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक कर्मचारी संघ, जिला शाखा बिलासपुर छ0ग0 की ओर से जिला न्यायालय परिसर में कैटिन, सायकल स्टैंड एवं फोटो कापियर मशीन के संचालन हेतु पंजीकृत संस्थाओं से मोहरबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र अनुसंलग्न-1 जो जिला न्यायालय के वेबसाईड (<https://bilaspur.dcourts.gov.in>) में अपलोड किया गया है तथा न्यायालय के नोटिस बोर्ड में प्रकाशन की तिथि से 10 दिवस के भीतर अर्थात् दिनांक 21.04.2025 तक कार्यालय दिवस में अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ न्यायिक कर्मचारी संघ, जिला शाखा बिलासपुर स्थान जिला न्यायालय बिलासपुर से आवेदन प्राप्त कर सकते हैं। कैटिन, फोटो कापियर एवं सायकल स्टैंड हेतु पृथक-पृथक आवेदन देय होगा।

निविदा आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 21.04.2025
समय शाम 5 बजे तक।

निविदा आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि 30.04.2025
समय शाम 5 बजे तक।

निविदा खोलने की तिथि 01.05.2025
समय शाम 4 बजे।

प्राप्त निविदा, संघ के अध्यक्ष एवं नियम-2017 के अन्तर्गत गठित समिति के समक्ष सभी निविदाकर्ता की उपस्थिति अथवा उसकी ओर से उपस्थित अभिकर्ता की उपस्थिति में खोली जाएगी।


अध्यक्ष

छत्तीसगढ़ न्यायिक कर्मचारी संघ
जिला शाखा बिलासपुर, (छ.ग.)



छ.ग. न्यायिक कर्मचारी संघ

जिला शाखा बिलासपुर (छ.ग.)

छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा मान्यता क्रमांक 1631/III-1910/2001 दि. 24/04/2001
पंजीयन क्र. 122202060152 दि. 17/01/2020

संरक्षक
श्री प्रमोद पाठक, श्री भागवत धुव

अध्यक्ष
श्री धीरज पलेरिया
7415749099

सचिव
श्री केदार रजक
9827963735

संघ प्रवक्ता

श्री कन्हैया लाल रजक

उपाध्यक्ष

श्री लक्ष्मीकांत दुबे

महिला उपाध्यक्ष

श्रीमती अनिता साहा

सह-सचिव

श्री सुरेन्द्र पाण्डेय

कोषाध्यक्ष

श्री मनीष गुप्ता

उपकोषाध्यक्ष

श्री सुर्यकांत पाण्डेय

संगठन सचिव

श्री मनोज यादव

श्री नागेश कश्यप

श्रीमती वर्षा वर्मा

श्रीमती अपेक्षा गढ़ेवाल

प्रचार सचिव

श्रीमती श्वेता यादव

श्री लोकेश तिवारी

श्री बृजेन्द्र सिंह

श्री सौरभ मिश्रा

श्री प्रवीण कुमार भारती

(परिवार न्यायालय)

विशेष सलाहकार समिति

श्री नईम खान

श्री सतीश ढाकरिया

श्रीमती सविता धुव

श्रीमती नीलकुंवर सिन्हा

सुश्री सीमा बंजारे

कार्यकारिणी सदस्य

श्री सतीश मिश्रा

श्री अमजद खान

श्री अंबुज सिंह

श्री सत्यम सिन्हा

श्रीमती कांति मिश्रा

तहसील प्रतिनिधि

श्री आशाराम मरावी (मरवाही)

श्री श्रवण कुमार श्रीवास (पेन्द्रारोड)

श्री निलेश कोचले (कोटा)

श्री चन्द्रशेखर रजक (तखतपुर)

श्री सुखसागर कौशिक (बिल्हा)

क्रमांक 0/25

दिनांक 8.4.25.....

अनुसंलग्नक- 1

1. आमंत्रित किए गए निविदा को किसी भी समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा बिना कारण बताए निरस्त किया जा सकेगा।
2. निविदा के लिए समय सीमा 30 दिन के भीतर।
3. निविदा को नीचे दिए गए पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट (एडी.) अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित किया जावेगा।

अध्यक्ष

छत्तीसगढ़ न्यायिक कर्मचारी संघ
जिला न्यायालय परिसर, बिलासपुर,
पिन नंबर- 495001

- यथा निर्धारित कार्यालय में जमा किया जावेगा।
4. सभी निविदाएं न्यूज पेपर में प्रकाशित अन्तिम तिथि 30.04.2025 के समय 05:00 बजे तक अनिवार्य रूप से जमा हो जाना चाहिए।
 5. केण्टीन, सायकल स्टैंड एवं फोटो कापियर मशीन संचालन हेतु प्राप्त पृथक-पृथक निविदा को क्रम से निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि की समाप्ति पर अगले ही कार्य दिवस पर संघ के अध्यक्ष एवं नियम- 2017 के अन्तर्गत गठित समिति के समक्ष सभी निविदाकर्ता की उपस्थिति अथवा उसकी ओर से उपस्थित अभिकर्ता की उपस्थिति में निविदा खोली जाएगी।
 6. सभी निविदा को खोलने के बाद जो भी उच्चतम बोली (दर) का सफल निविदाकर्ता होगा, की घोषणा पृथक-पृथक की जाएगी। अधिकृत अधिकारी द्वारा उस निविदाकर्ताओं को केण्टीन, सायकल स्टैंड एवं फोटो कापियर मशीन संचालन की अनुमति अनुबंध के माध्यम से दिया जाएगा। साथ ही शेष निविदाकर्ता जो कि उक्त निविदा में सम्मिलित हुए पर सफल नहीं हुए, उनके द्वारा किए गए निविदा की 25 प्रतिशत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक अगले 07 कार्य दिवस के भीतर जल्द से जल्द वापस कर दिया जाएगा।
 7. सफल निविदाकर्ता को निविदा की शेष 75 प्रतिशत राशि अगले 07 कार्य दिवस के भीतर डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के रूप में जो कि अध्यक्ष, न्यायिक कर्मचारी कल्याण समिति, शाखा बिलासपुर के

नाम पर होनी चाहिए। अगर ऐसा करने में उक्त निविदाकर्ता सफल रहा तो उसका आवेदन एवं जमा राशि दोनों ही जब्त कर उसकी बोली को रद्द कर दिया जाएगा। उसे बोली की सम्पूर्ण राशि जमा 07 कार्य दिवस के भीतर जमा करने के पश्चात् ही उसके केण्टीन, सायकल स्टैण्ड एवं फोटो कापियर मशीन संचालन हेतु अनुबंधित किया जाएगा तथा तभी उसे केण्टीन, सायकल स्टैण्ड एवं फोटो कापियर मशीन संचालन की पात्रता होगी।

8. केण्टीन में बेची जाने वाली वस्तुएं बाजार दर से अधिक नहीं होगी। यदि सम्भव हो तो उसकी दर बाजार दर से कम हो, यदि सम्भव हो तो सभी खाने की वस्तुएं एम.आर.पी. दर से कम में बेची होगी। कोई भी वस्तु एम.आर.पी. दर से अधिक नहीं बेची जाएगी। खाने की वस्तुओं की गुणवत्ता एवं स्वच्छता का विशेष ध्यान केण्टीन संचालक द्वारा दिए जाने वाले स्नैक्स, पेय पदार्थ अथवा खाद्य पदार्थ होने चाहिए।

9. केण्टीन संचालक अपने रसोईयों तथा उनके सहायक को साफ एप्रॉन, वर्दी उपलब्ध कराएगा।

10. विद्युत, पानी एवं रख-रखाव जो कि जरूरी हो, वे सारे शुल्क केण्टीन संचालक द्वारा देय होगा। यह सायकल स्टैण्ड, फोटो कापियर मशीन संचालक पर भी लागू होगा।

11. केण्टीन, सायकल स्टैण्ड एवं फोटो कापियर मशीन संचालक द्वारा लायसेंस/दो माह का किराया अग्रिम तौर पर संघ के बैंक खाते में जमा करना होगा। यह दर 31 मार्च तक प्रचलित होगी, इसके बाद किराया केण्टीन की निविदा राशि का 05 प्रतिशत प्रति वर्ष बढ़ाया जाएगा। केण्टीन संचालक को मासिक किराया हर माह की 10 तारीख तक संघ के बैंक खाते में जमा करनी होगी। अगर केण्टीन संचालक नियमों का पालन करने में असफल रहता है तो संघ द्वारा केण्टीन संचालक को सूचना देते हुए उसके अनुबंध को समाप्त कर सकेगा। यह सायकल स्टैण्ड, फोटो कापियर मशीन संचालक पर भी लागू होगा।

12. फोटो कापियर मशीन का संचालन माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय के द्वारा जिला न्यायालय परिसर में उपलब्ध कराए गए स्थान पर सफल निविदाकर्ता के द्वारा अपने स्वयं की फोटोकापी मशीन संस्थापित करेगा, साथ ही उक्त फोटोकापी मशीन को चलाने के लिए ऑपरेटर की नियुक्ति स्वयं करेगा।

13. जिला न्यायालय परिसर में सायकल स्टैण्ड का संचालन सफल निविदाकर्ता सायकल स्टैण्ड में खड़े किए गए सायकलों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, साथ ही अगर किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति में वह पूर्णरूपेण जिम्मेदार होगा।

14. संघ, सायकल स्टैण्ड में विभिन्न प्रकार के वाहनों की दर तय करेगा, जो दैनिक/मासिक आधार पर होगी, जिसमें कर्मचारी/अधिवक्ता/पक्षकार शामिल होंगे।

15. निविदा एक बंद लिफाफे में होगी। लिफाफे के बाहर, अंदर रखे दस्तावेज का विवरण अभिलिखित किया जाना होगा।

16. निविदाएं जो निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त होंगे, उन्हें खोला नहीं जाएगा और वापस कर दिया जाएगा। ऐसी निविदाओं को वापस किए जाने का दिन एवं समय की जानकारी मोहरबंद लिफाफे में उल्लेखित होगी।

17. निविदाकर्ताओं को फर्म का पता उल्लेखित करना होगा।

18. केण्टीन हेतु न्यूनतम बोली राशि 14,000/- रु., सायकल स्टैण्ड हेतु 16,000/- रु. एवं फोटो कापियर मशीन संचालन हेतु 4,500/- रु. की राशि संघ द्वारा निर्धारित की गई है।

नोट—केंटीन संचालक हेतु खाद्य विभाग द्वारा जारी प्रमाणपत्र / नगर निगम द्वारा गुमास्ता लाईसेंस होना आवश्यक है।


अध्यक्ष

छत्तीसगढ़ न्यायिक कर्मचारी संघ
जिला शाखा बिलासपुर, (छ.ग.)